राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2022 पार्ट–।। जयपुर, दिनांक : 0 5 AUG 2026

परिपत्र

विषय :– राजकीय सेवा में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत हुए कार्मिकों को 01.04.2022 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पेंशन का विकल्प दिए जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन की अधिसूचना क्रमांक प.12(2) वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 तथा राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 को निरसित किए जाने की अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 जारी की गई है, जो दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी है।

अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत कार्मिकों को एनपीएस के अन्तर्गत प्राप्त पूर्ण राशि मय ब्याज के, जो जीपीएफ की तत्समय प्रचलित ब्याज दर के समान होगी, जमा करवाये जाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियमानुसार लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है, परन्तु उक्त अधिसूचना में पूर्ण राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं है।

उक्त विषय का समुचित परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राजकीय सेवा में नियुक्त तथा 31.03.2022 तक सेवानिवृत हुये कार्मिकों को अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 की पालना किये जाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिए जाने हेतु अंतिम तिथि 30.09.2026 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि की समाप्ति के पश्चात् यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्री महोदय / माननीय राज्य मंत्री महोदय
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर
11. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
12. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
13. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप–7)
14. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(अरविन्द दीवान)
संयुक्त शासन सचिव–II,
वित्त (नियम) विभाग

(NPS01/2026)